कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

पत्रांक-..1574(अनु०) तेघड़ा, दिनांक-..16/10/2025

प्रेषक : कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
नावार्ड,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- **NABARD (4515) योजना अन्तर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण मद में राशि उपलब्ध कराने के संबध में।**

प्रसंग :- **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका CWJC No-980/2025, मेंसर्स जय माता दी कन्स० कम्पनी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्याय निर्णय।**

सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आदेश पत्रांक-10250 अनु० दिनांक-24.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा के अधीन शीर्ष **NABARD (4515)** योजना से निर्मित पथ भगवानपुर प्रखण्ड में **मोख्तियारपुर कबिया रोड से बनौली नाखा भाया बांध सरस्वती स्थान तक** पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या -04/SBD-04/2013-14 दिनांक-08.05.2013 के तहत वर्ष 2014 से वर्ष-2019 तक की अवधि में कराये गये रूटीन अनुरक्षण कार्य के विरूद्ध लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का न्यायादेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-11.09.2025 को पारित है साथ ही उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा भी भुगतान हेतु अपेक्षित कार्रवाई किये जाने निर्देश प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि उक्त एकरारनामा से संबंधित कार्य में चतुर्थ एवं पांचवें वर्ष में कराये गये अनुरक्षण कार्य के विरूद्ध मापी पुस्त में अंकित राशि कुल-2,46,182.00 का आवंटन अद्योहस्ताक्षरी के पत्रांक-501 अनु० दिनांक-02.05.2025 द्वारा मांगे जाने के फलस्वरूप कुल आवंटन 2,46,182.00 इस कार्यालय को प्रात है जो भुगतान की प्रक्रिया में है।

उक्त एकराररित पथ में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कराये गये अनुरक्षण कार्य की राशि का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं विभाग द्वारा निर्गत आदेश एवं दिनांक-14.10.2025 को तकनीकी परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से उक्त संबंध में वार्ता के आलोक में संबंधित संवेदक को किया जाना है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा के अधीन शीर्ष नावार्ड (4515) योजना में पंचवर्षीय अनुरक्षण मद के भुगतान हेतु अधियाचना (विहित प्रपत्र) में अंकित राशि-3,09,900.00 (तीन लाख निन्यानवे हजार) मात्र उपलब्ध कराने हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि यथशीघ्र विमुक्त करने की कृपा की जाय जिससे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित समयबद्ध न्यायादेश का अक्षरशः अनुपालन ससमय किया जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

16.10.25

(ई० देवेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

16-10-25

ज्ञापांक-..1574(अनु०) तेघड़ा, दिनांक-..16/10/2025.

प्रतिलिपि -

(1) अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(2) श्री अशोक दुबे, परामर्शी (विधि), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(3) सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

16.10.25

(ई० देवेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र

क्र० सं०	कार्य प्रमण्डल का नाम	योजना का नाम	एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक सहित पत्रांक (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक /दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि					कुल राशि (लाख में)	कुल अधियाचित राशि (लाख में)।
			प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)		प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)						प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष राशि (लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	तेघड़ा।	मोख्तियारपुर कबिया पथ से बनौली नक्शा भाया सरस्वती स्थान बांध।	0.67000	0.86200	1.56700	1.93800	2.28100	7.31800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.13 Lac & Lt No-3730 Dt-24.08.12	185.7583 Lac		03.05.2014	0.67000	0.86200	1.56700	0.00000	0.00000	0.00000	3.09900
																		Total	0.67000	0.86200	1.56700	0.00000	0.00000	0.00000	3.09900

1 कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।
2 पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
3 अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार का वि
4 अनुलग्नक – प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

नोट :–

(1) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–980 / 2025 मेंसर्स जय माता दी कन्स0 कं0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–11.09.2025 को पारित न्याय निर्णय।
(2) सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का आदेश संख्या–10250 (अनु0) दिनांक–24.09.2025 के आलोक में।
(3) इस कार्यालय का पत्रांक–1418 अनु दिनांक–06.10.2025 अवलोकनार्थ समर्पित।

16.10.25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।
16-10-25

FORM GFR 19 - A

FORM of Utilization Certificate up to the Month of October - 2025

NABARD Maintenance

Sl No.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (lacs)	Amount Received (in Rs lacs)		Particulars
			Letter No	Amount	
1.	NABARD Maintenance		I) Lt-9137 Dt-25.08.2025	5.70288	Certified that out of Rs **5.70288** lacs received during Upto **10, October, 2025** in favours of **Executive Engineer R.W.D. Works Division Teghra** a sum of Rs. **0.00** lacs has been utilized for the purpose of NABARD Schemes under 4515 as given in margin for which it was sanctioned and that balance of Rs **5.70288** lacs remaining unutilized at the end of period under.
			Total	5.70288	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that money was actually utilized for the purpose for which I was sanctioned.

King of checks exercised

(i) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
(ii) Periodical Inspection has been conducted Executive Engineer/Superintending Engineer.
(iii) Construction material have been tested.
(iv) Measurements have been recorded in the MB and check conducted by the Assistant.

3. Physical Progress achieved.

(i) Construction of Road Works.
(ii) Construction of CD Works.

16.10.25

Executive Engineer
RWD (W) Div.,
Teghra.

16.10.25

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–14/अ0प्र0–06–01/2025 1025 पटना, दिनांक– 24/9/25

प्रेषक,

संजय कुमार,भा0प्र0से0,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, तेघड़ा।

निबंधित

686
03/10/25

विषयः– रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–980/2025, मेंसर्स जय माता दी कन्स0 कम्पनी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–11.09.2025 को पारित न्यायादेश के तहत् अपेक्षित कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंगः– संदर्भित वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–11.09.2025 को पारित न्यायादेश।

महाशय,

विषयांकित संदर्भ में प्रासंगिक न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–11.09.2025 को पारित न्यायादेश के तहत् याचिकाकर्त्ता संवेदक मेंसर्स जय माता दी कन्स0 कम्पनी, प्रोफेसर कॉलोनी, पावर हाउस रोड, थाना+जिला– बेगुसराय द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा के अधीन शीर्ष नबार्ड योजना अन्तर्गत भगवानपुर प्रखंड में मखीयारपुर कविया रोड से बनौली नाखा भाया बांध सरस्वती स्थान तक पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या–4/SBD-04/2013-14, दिनांक–08.05.2013 के तहत् वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि में कराये गये रूटीन अनुरक्षण कार्य के विरूद्ध लंबित कुल–6,02,312.3914 रू0 (जी0एस0टी0 रहित) के भुगतान हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–11.09.2025 को पारित न्यायादेश के तहत् माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका को Allow करते हुए न्यायादेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्त्ता संवेदक द्वारा वर्ष 2014 से 2019 के बीच रूटीन अनुरक्षण कार्य मद् में कराये गये कार्य के विरूद्ध लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का न्यायादेश दिया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेशित किया जाता है कि संदर्भित रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–11.09.2025 को पारित न्यायादेश का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक अपेक्षित कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत् करायें।

अनु0ः–यथोक्त।

D.A.O
रोकड़पाल
कृपया श्री...
3.10.25

विश्वासभाजन
23/9/25
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

(187)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.980 of 2025

M/S Jai Mata Di Construction Company a registered partnership firm having its registered office at Professor Colony, Power House Road, P.S. and District-Begusarai through its Authorized Partner namely Sri Sanjeev Kumar (male), aged about 49 years, son of Late Digamber Prasad Singh, resident of Ward No. 8, P.O.-Chandaur, P.S.-Bhagwanpur, District-Begusarai.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna.
2. The Principal Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Additional Chief Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna.
4. The Engineer in Chief, Rural Works Department, Government of Bihar, Patna.
5. The Superintending Engineer, Rural Works Department, Work Division, Samastipur, Government of Bihar, Samastipur, Bihar.
6. The Executive Engineer, Rural Works Department, Work Division Teghra, Begusarai, Bihar.
7. The Assistant Engineer, Rural Works Department, Work Division Teghra, Begusarai, Bihar.

... ... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Riya Giri, Adv.
For the Respondent/s : Mr. Advocate General

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE A. ABHISHEK REDDY
ORAL ORDER

10 11-09-2025. Heard the learned counsel for the parties.

The present writ petition has been filed for the following relief(s):-

> *"i). To issue a writ/order/ direction in the nature of Mandamus for direction to the Respondent Authorities to make payment to the petitioner of Rs.6,02,312.3914/-(excluding GST) for the maintenance work done for five years in*

relation to Agreement No.04/SBD-04/2013-14 dt. 08.05.2013, with GST and interest.

ii). To hold and declare that also in terms of Section 70 of Contracts Act, 1872 the claim of the petitioner is liable to be allowed and that action of the Respondent Authorities is contrary to the same.

iv). To any other relief or reliefs for which the petitioner is found to be entitled in the facts and circumstances of the case."

3. It is the case of the petitioner that pursuant to the tender issued by the authority for the purpose of constructing the Road from Mukhtiyarpur Kabia to Banauli Naka via Bandh Saraswati Sen, the petitioner has participated in the said tender and being a successful bidder, was awarded the contract on 08.05.2013. That as per the terms and conditions of the contract, the petitioner was obligated to complete the work by 07.05.2014 and, thereafter, till 17.07.2019 the petitioner was expected to do the maintenance of the said work.

4. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner submits that though the authorities have paid the amount for the work done by the petitioner, the amounts which are due for the maintenance of the work from 2014 till 2019 have till date not been paid. Learned counsel submits that as per the terms and conditions of the tender document and also the agreement entered between the parties, more specifically, Clause 41, the petitioner is entitled to an amount of 6,02,312.3914/-.

WEB COPY

185

However, the authorities even after lapse of more than six years are not paying the above stated amount due to the petitioner. Learned counsel submits that the petitioner has all along been pursuing with the authorities for payment of Rs. 6,02,312.3914/-. That it was only when the authorities have issued the letter dated 19.12.2024, that the petitioner had to necessarily file the present writ petition. Learned counsel therefore, prays this Hon'ble Court to allow the present writ petition and consequently direct the authorities to make payment of the amounts for the maintenance work done for the last five years i.e. from 2014 to 2019.

5. *Per contra*, the learned counsel appearing on behalf of the respondents has vehemently opposed the very maintainability of the present writ petition and also the prayer sought for in the present writ petition. Learned counsel has stated that the petitioner has been entrusted the work of construction of road and the same was completed in the year 2014. Thereafter, the petitioner was obligated to maintain the said work till 17.07.2019. That the petitioner has approached this Hon'ble Court only in the year 2025 i.e., after lapse of more than six years. Learned counsel has stated that the writ petition is liable to dismissed solely on the ground of laches. Further, it

WEB COPY

is stated by the counsel for the respondents that the Security Refunding Form which has been submitted by the petitioner is only a format and, therefore, no action for payment of the amount can be taken under the said form. Learned counsel has stated that even for the sake of argument, it is accepted that the Security Refunding Form (Annexure-P/8) is also taken as correct, the same is not signed by the Executive Engineer. Learned counsel submits that unless and until the Executive Engineer signs the said form, the question of paying any amount does not arise. Learned counsel has therefore, prayed this Hon'ble Court to dismiss the present writ petition.

6. Admittedly, in the present case the fact that the petitioner has been allotted the work for construction of road and that it has been completed is not being denied by the respondent authority. The only bone of contention between the parties is as to whether the petitioner is entitled for payment of the maintenance amount from the date of completion of the work till 17.07.2019 i.e., for a period of five years. Admittedly, the petitioner after completion of work has maintained the road and submitted the Security Refunding Form on 28.10.2019 and the same has signed by the Joint Engineer as well as the Assistant Engineer. It is pertinent to note that the endorsement

WEB COPY

of the Joint Engineer is that the road has been maintained and the same has also been recommended by the Assistant Engineer. Therefore, the contention of the respondent authorities that the petitioner has not maintained the work for the period 2014 to 2019 as envisaged under the contract is without any legal basis and contrary to the record. The authority except taking a frivolous ground that the petitioner has approached this Hon'ble Court after a lapse of six years and therefore, the writ petition has to be dismissed on the ground of laches has not denied the maintenance work done by the petitioner. The ground of laches also has to be discarded as the petitioner has been filing his representations to the authority concerned and it was only after the work efficiency certificate dated 19.12.2024 (Annexure-P/10) has been issued in favour of the petitioner, the cause of action for payment of the maintenance amount arises.

7. Further, a perusal of Clause 41 of the agreement/ contract, reads as under;

> *"CLAUSE 41*
>
> *Release of Security deposit*
>
> *On completion of the whole of the work, half of the total amount or security shall be repaired to the contractor after six months of completion. However, the balance half of the total amount of security will be returned after completion of defect liability period and after the Engineer has certified that all defects notified by him to the contractor before the end of this period have been corrected and also after recovery of any dues."*

TRUE COPY

8. Having regard to the above mentioned facts and circumstances, the present writ petition is allowed. The authorities are directed to make the necessary payments due to the petitioner for the maintenance work for the period of 2014 till 2019 as expeditiously as possible preferably within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order.

9. With the above direction, the present writ petition stands allowed to the extent indicated.

(A. Abhishek Reddy, J)

Ayush/-

U			

WEB COPY

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।
Email Id-rwdteghra@gmail.com

पत्रांक-..1418(अनु०)/तेघड़ा, दिनांक-.06/10/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- रिट याचिका CWJC No-980/2025, मेंसर्स जय माता दी कन्स० कम्पनी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-11.09.2025 को पारित न्यायादेश के तहत् अपेक्षित कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-10250 अनु० दिनांक-24.09.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में वर्णित तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-11.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा के अधीन शीर्ष नावार्ड योजनान्तर्गत भगवानपुर प्रखण्ड में मोख्तियारपुर कबिया रोड़ से बनौली नाखा भाया सरस्वती स्थान तक पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या-4/SBD-04/2013-14 दिनांक-08.05.2013 के तहत वर्ष-2014 से 2019 तक की अवधि में कराये गये रूटीन अनुरक्षण कार्य के विरूद्ध लंबित कुल-6,02,312.39 रू० (जी०एस०टी० रहित) के भुगतान सुनिश्चित करने का न्यायादेश प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय में संधारित उक्त वर्णित कार्य से संबंधित मापी पुस्त सं०-48 (पृष्ट 69 से 74 तक) के अनुसार वर्णित पथ में मात्र चौथे एवं पांचवे वर्ष में कराये गये अनुरक्षण कार्य का मापी दर्ज है, चौथे वर्ष के लिए रू०-1,01,454.00 एवं पाँचवें वर्ष के लिए रू०-1,44,728.00 अर्थात कुल-2,46,182.00 रू० की मांग इस कार्यालय के पत्रांक-501 (अनु०) दिनांक-02.05.2025 द्वारा नोडल पदाधिकारी, नावार्ड, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से किये जाने के फलस्वरूप उक्त कुल आवंटन राशि-2,46,182.00 रू० इस कार्यालय को प्राप्त है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संबंधित कार्य के मापी पुस्त में उक्त वर्णित कार्य के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कराये गये अनुरक्षण कार्य की मापी दर्ज नहीं है।

उक्त परिपेक्ष्य में पथ के लिए संधारित मापी पुस्त में चौथे एवं पाँचवे वर्ष के लिए कराये गये कार्य एवं मापी पुस्त में दर्ज मापी के आधार पर कुल रू०-2,46,182.00 भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कराये गये अनुरक्षण कार्य की मापी, मापी पुस्त में दर्ज नहीं होने के कारण तकनीकी रूप से उक्त तीनों अनुरक्षण अवधि के कार्यो की राशि की मांग एवं उसका भुगतान किये जाने में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि उक्त के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन
06.10.25
(ई० देवेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।
6.10.25

ज्ञापांक-..1418 (अनु0)../ दिनांक-.06/10/2025

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से उचित मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय।

06.10.25

(ई० देवेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

ज्ञापांक-..1418 (अनु0)../ दिनांक-..06/10/2025

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता-3, भागलपुर ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से उचित मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय।

06.10.25

(ई० देवेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।

ज्ञापांक-..1418 (अनु0)../ दिनांक-.06/10/2025

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से उचित मार्गदर्शन देने की कृपा की जाय।

06.10.25

(ई० देवेन्द्र कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, तेघड़ा।